रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102020-222615 CG-DL-E-21102020-222615

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] No. 535] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2020/आश्विन 29, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2020

## सं. 38/2020-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 657(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतिशमन पश्चात, जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, ऐसी वस्तुओं को जिनका आयात परिधानों तथा मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवी की छूट संबंधी योजना (एतिशमनपश्चात, जिसे आरओएसएल स्कीम से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये शुल्क जमा स्क्रिप (एतिशमनपश्चात, जिसे उक्त स्क्रिप से संदर्भित किया गया है) के एवज में भारत में आयात किया गया हो, को प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ 4.97 तथा 4.98 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01(घ) के अनुसार छूट देती है-

- (क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात, जिसे उक्त अधिनियम सीमाशुल्क टैरिफ से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उसपर लगाये जाने वाले संपूर्ण सीमाशुल्क से; और
- (ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधार (1), (3) और (5) के अंतर्गत उसपर लगाये जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से।

5086 GI/2020 (1)

- 2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:-
  - (1) कि उक्त स्क्रिप में ड्यूटी क्रेडिट को –
- (क) आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत गारमेंट्स और मेड-अप्स (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त माल से संदर्भित किया गया है) के ऐसे निर्यात के एवज में जारी किया गया हो जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत निर्यात के लिए उक्त माल के निकासी एवं लदान के लिए जारी किया गया आदेश गारमेंट्स के मामले में 20 अक्तूबर, 2016 को या उसके बाद और मेड-अप्स के मामले में 23 मार्च, 2017 को या उसके बाद तथा उक्त माल के लिए 06 मार्च, 2019 तक के लिए जारी किया गया हो;
- (ख) संबंधित दर और अधिकतम सीमा, जिसे वस्त्र मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो और उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत निर्यात के लिए माल के निकासी एवं लदान के आदेश के समय लागू हो, के अनुसार किये जाने वाले निर्यात के एवज में जारी किया गया हो;
- (2) कि निर्यातकर्ता ने अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत आरओएसएल स्कीम के तहत किसी क्रेडिट या छूट या रिफण्ड या छूट प्राप्त लेवी की वापसी का न तो दावा किया हो और न ही दावा करे;
- (3) कि इस आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली छूट विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार योजना के एवज में किये जाने वाले निर्यात पर लागू नहीं होगा;
- (4) कि उक्त स्क्रिप उस पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो जिसका उल्लेख उस स्क्रिप में किया गया हो;
- (5) कि उक्त स्क्रिप को उक्त माल की निकासी के दौरान उन पर लगाये जाने वाले शुल्क की डेबिट के समय यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी इस छूट के अंतर्गत पहले ही की गयी डेबिटों को और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 07/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 के अंतर्गत की गयी डेबिटों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि उतने शुल्क की डेबिट की जाए जो अन्यथा उस माल पर उद्गहणीय है;
  - (6) कि उक्त स्क्रिप और इसके एवज में आयात किया गया माल का मुक्त रूप से अंतरण किया जा सकेगा;
- (7) कि जहां आयातकर्ता उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसके लिए यह माना जाएगा कि उसने उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क की गणना के उद्देश्य से उक्त शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की है;
- (8) कि आयातकर्ता उक्त स्क्रिप में डेबिट की गयी राशि के एवज में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले सीमाशुल्क की प्रति अदायगी को प्राप्त करने का हकदार होगा;
- (9) कि आयातकर्ता उक्त स्क्रिप में डेबिट की गयी राशि के एवज में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा;

# स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से, -

- (क) "पूंजीगत माल" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए विदेश व्यापार नीति पैराग्राफ 9.08 में दिया गया हो;
- (ख) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020, से है जिसका प्रकाशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 01/2015-20, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के तहत किया गया है;

- (ग) "परिधानों" से अभिप्राय वही है जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12020/03/2016-आईटी, दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दिया गया है जिसके द्वारा परिधानों के निर्यात पर लगायी जाने वाली स्टेट लेवी से छूट की योजना को अधिसूचित किया गया था;
- (घ) "मेड-अप्स" से अभिप्राय वही है जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दिया गया है जिसके द्वारा मेड-अप्स के निर्यात पर लगायी जाने वाली स्टेट लेवी से छूट की योजना को अधिसुचित किया गया;
- (ङ) "माल" से अभिप्राय किसी भी आगत या माल से है जिसमें पूंजीगत माल भी आता है;
- (च) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक से अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करने, जिसमें शुल्क जमा स्क्रिप भी आती है, के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी से है।

[फा.सं. 605/04/2019-डीबीके (खंड-I)]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ड्रॉबैक)

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2020

## No. 38/2020 - CUSTOMS

- **G.S.R.** 657(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, when imported into India against a duty credit scrip (hereinafter referred to as the said scrip) issued by the Regional Authority under the Scheme for Rebate of State Levies on export of garments and made-ups (hereinafter referred to as the RoSL scheme) in accordance with paragraph 4.01(d) of the Foreign Trade Policy read with paragraphs 4.97 and 4.98 of the Handbook of Procedures from -
- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act); and
- (b) the whole of additional duty leviable thereon under sub sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act.
- 2. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-
  - (1) that the duty credit in the said scrip is issued -
- (a) against exports of garments and made-ups (hereinafter referred to as the said goods) under the RoSL scheme where the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act has been made on or after the 20th October, 2016 for garments, on or after the 23rd March, 2017 for made-ups, and till 6th March, 2019 for the said goods;
- (b) against exports of the said goods as per the respective rate and cap as notified by the Ministry of Textiles from time to time and in operation at the time of the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act;
- (2) that the exporter has not claimed or shall not claim credit or rebate or refund or reimbursement of the State levies rebated under RoSL scheme under any other mechanism;
- (3) that the rebate under the RoSL scheme shall not be applicable for exports made against the Advance Authorisation Scheme under the Foreign Trade Policy 2015-20;
- (4) that the said scrip is registered with the Customs authority at the port of registration specified on the said scrip;
- (5) that the said scrip is produced before the proper officer of Customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods and the proper officer of Customs after taking into account the debits already made

under this exemption and debits made under the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No.07/2020-Central Excise, dated the 21<sup>st</sup> October, 2020 shall ensure the debit of the duties leviable on the goods, but for this exemption;

- (6) that the said scrip and goods imported against it shall be freely transferable;
- (7) that where the importer does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under subsections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act, he shall be deemed not to have availed the exemption from the said duty for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;
- (8) that the importer shall be entitled to avail of the drawback of the duty of customs leviable under the First Schedule to the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip; and
- (9) that the importer shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip;

#### **Explanation**. – For the purposes of this notification, -

- (a) "capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.08 of the Foreign Trade Policy;
- (b) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification number 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015 as amended from time to time;
- (c) "garments" shall have the same meaning as assigned to it in the Ministry of Textiles' notification no. 12020/03/2016-IT, dated the 12<sup>th</sup> August, 2016 notifying the Scheme for Rebate of State Levies on Export of Garments;
- (d) "made-ups" shall have the same meaning as assigned to it in the Ministry of Textiles' notification no. 12015/47/2016-IT, dated the 3<sup>rd</sup> January, 2017 notifying the Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups;
- (e) "goods" means any inputs or goods including capital goods;
- (f) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under that Act.

[F. No. 605/04/2019-DBK (Vol.I)]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)